भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1198

<u>दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

विदेश व्यापार नीति

1198 श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क): क्या सरकार ने माल निर्यात, जोकि क्रमिक रूप से गिर गया था, को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में विदेश व्यापार नीति के कार्यकाल को एक नई नीति से बदलने के बजाय बढ़ा दिया है; और

(ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमुख निर्यातकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हमें मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–20) को जारी रखना चाहिए, जिसे समय–समय पर आगे बढ़ाया गया था। निर्यातकों और उद्योग निकायों ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया कि विद्यमान, अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू–राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति को कुछ समय के लिए बढ़ाना उचित होगा और नई नीति लाने से पहले और अधिक परामर्श किया जाए। सरकार ने हमेशा नीति निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल किया है। इसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर, 2022 तक वैध विदेश व्यापार नीति 2015–20 को 1 अक्तूबर, 2022 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–20 जो 30 सितंबर, 2022 तक वैध थी, को अधिसूचना सं. 37/2015–2020 और सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015–2022 दिनांक 29 सितंबर, 2022 के तहत 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

****